

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/1454-21234/2023/

दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुमिता, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (परिवीक्षाधीन), अधीन खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावतगाटा, चित्तौड़गढ़ का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर दिनांक 30-04-2021 से 03-06-2021 तक 34 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-1 दिनांक 06-01-2020 के अनुसार 30 दिवस से अधिक अवकाश उपयोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अगिवृद्धि की जावेगी।

(सुरेश नवल)

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-2/1454-21234/2023/372

दिनांक:- 11-09-2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़।
3. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रावतगाटा, चित्तौड़गढ़।
4. संबंधित कार्मिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर